



The Madhya Pradesh Entertainments Duty Validation Act, 2013

Act 31 of 2013

Keyword(s):

Direct to Home, Entertainment Duty, Payment for Entertainment

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2013—भाद्र 20, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 6089-254-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३१ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण अधिनियम, २०१३

[दिनांक ७ सितम्बर २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) सेवा प्रदाताओं से कतिपय अवधि के दौरान उद्ग्रहीत किए गए और संग्रहीत किए गए मनोरंजन शुल्क का विधिमान्यकरण करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और
विस्तार.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण अधिनियम, २०१३ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

“(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६);

(ख) “डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा” से अभिप्रेत है बिना किसी माध्यम जैसे केवल आपरेटर से गुजारे हुए, उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए दूरदर्शन के मल्टी चैनल कार्यक्रमों को उपभोक्ताओं के परिसरों तक दूरदर्शन के सिग्नलों को सीधे के यू बैंड में उपलब्ध करवा कर वितरण करने की प्रणाली;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये “के यू बैंड” से साधारणतया अभिप्रेत है ११.७-१२.७ जी. एच. जेड. (गीगाहर्ट्ज) फ्रीक्वेंसी बैंड जो दो खण्डों में विभक्त होते हैं, अर्थात् पहला जिसमें ११.७-१२.२ जी. एच. जेड. फ्रीक्वेंसी हो और जो एफ. एस. एस. (फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस) के रूप में ज्ञात हो और दूसरा जिसमें १२.२-१२.७ जी. एच. जेड. फ्रीक्वेंसी हो और जो बी. एस. एस. (ब्राडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस) के रूप में ज्ञात हो और इसमें ऐसे अन्य बैंड विद्ध भी हो सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाएं;

(ग) “मनोरंजन” में सम्मिलित हैं—

(एक) किसी डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार के एंटीना/सेट टॉप बाक्स अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण की सहायता से जो कनेक्शन होल्डर के आवासीय या गैर-आवासीय निवास स्थान के किसी टेलिविजन सेट को सीधे तौर पर उपग्रह से जोड़ता हो, किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए किसी टेलीविजन प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन;

(दो) किसी अन्य तकनीकी साधन अथवा यन्त्र से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(घ) “मनोरंजन शुल्क” से अभिप्रेत है डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा के किसी ऐसे प्रदाता से, जो किसी आवासीय या गैर-आवासीय निवास स्थान के किसी टेलीविजन सेट को सीधे उपग्रह से जोड़ता हो, किसी कनेक्शन होल्डर द्वारा संस्थापन के लिये उसे किए गए प्रत्येक भुगतान के या किसी रीति में चाहे वह कुछ भी हो, संग्रहीत संयोजन प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के २० प्रतिशत की दर से उद्ग्रहीत और संदत्त शुल्क;

(ड) मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में, “मनोरंजन के लिये भुगतान” में सम्मिलित है किसी व्यक्ति द्वारा किसी डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा के संचालक को अभिदाय, अभिदान के रूप में संस्थापन के लिये अथवा संयोजन प्रभारों अथवा किन्हीं अन्य प्रभारों के लिये किसी रीति में चाहे वह कुछ भी हो, संग्रहीत संयोजन प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के रूप में किया गया भुगतान;

३. (१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा ३ के अनुसरण में वसूल किया गया या अधिरोपित या वसूल किए जाने के लिये तात्पर्यित कोई मनोरंजन शुल्क, समस्त प्रयोजनों के लिये उस सारवान् समय पर सदैव ही विधिमान्यतः अधिरोपित और वसूल किया गया समझा जाएगा।

मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण का विधिमान्यकरण।

(२) ऐसे मनोरंजन शुल्क के अधिरोपण या वसूली के सम्बन्ध में किए गए समस्त कृत्य/कार्यवाहियां अथवा बातें, समस्त प्रयोजनों के लिये सदैव ही विधि के अनुसार विधिमान्यतः की गई समझी जाएंगी।

(३) इस प्रकार संदत्त या वसूल किए गए किसी मनोरंजन शुल्क की वापसी के लिये राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी के विरुद्ध चाहे वह कोई भी हो, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी अथवा जारी नहीं रखी जाएंगी।

(४) कोई भी न्यायालय इस प्रकार संदत्त अथवा वसूल किए गए मनोरंजन शुल्क की वापसी का निर्देश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को लागू नहीं करेगा।

४. इस अधिनियम के उपबंध दिनांक ५-५-२००८ से दिनांक ३१-०३-२०११ तक की कालावधि को लागू होंगे और सदैव ही उन्हें लागू समझे जाएंगे।

अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव होगा।

यह विधेयक मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक १० जुलाई, २०१३ को पारित किया गया।

भोपाल :

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा.

दिनांक : १५ जुलाई, २०१३.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 6090-254-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण अधिनियम, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 31 OF 2013.

**THE MADHYA PRADESH ENTERTAINMENTS DUTY
VALIDATION ACT, 2013**

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th September, 2013.]

An Act to provide validation of entertainment duty levied and collected from Direct-to-Home (DTH) service providers during certain period.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Entertainments Duty Validation Act, 2013.
- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936);
 - (b) "Direct-to-Home (DTH) Broadcasting service" means a system of distribution of multi-channel television programmes in Ku-Band by using a Satellite system, by providing television signals direct to the subscriber's premises without passing through an intermediary such as cable operator.

Explanation.—For the purpose of this clause "Ku-Band" ordinarily means the 11.7-12.7 Ghz (Gigahertz) frequency band which splits into two segments. viz. the first having the frequency of 11.7-12.2 Ghz. known as FSS (Fixed Satellite Service) and the other having the frequency of 12.2-12.7 Ghz known as BSS (Broadcasting Satellite Service), or it may have such other band width as may be approved by the Government of India from time to time;

 - (c) "entertainment" includes—
 - (i) entertainment or any television exhibition made available to a person by a Direct-to-Home (DTH) Broadcasting service provider with the aid of any type of antenna / set-top-box or any other instrument of like nature which connects television set at a residential or non-residential place of connection-holder directly to the satellite;
 - (ii) entertainment provided by any other technological means or device;
 - (d) "entertainment duty" means the duty levied and paid at the rate of 20 percent under section 3 of the Act, in respect of every payment for entertainment made by a connection-holder by way of contribution, subscription for installation or connection charges or any other charges, collected in any manner whatsoever to the Direct-to-Home (DTH) Broadcasting service provider which connects television set at a residential or non-residential place directly to the satellite;
 - (e) "payments for entertainment" in relation to the levy of entertainment duty, includes any payment made by a person to the proprietor of a Direct-to-Home (DTH) Broadcasting service by way of contribution, subscription for installation or connection charges or any other charges, collected in any manner whatsoever.

3. (1) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, an entertainment duty recovered or purported to have been imposed or recovered in pursuance of Section 3 of the Act, shall for all purposes be deemed to be and to have always been validly imposed and recovered at that material time.

Validation of levy of entertainment duty.

(2) All acts, proceedings or things done or taken in connection with the imposition or recovery of such entertainment duty, shall for all purposes be deemed to be and have always been made validly in accordance with law.

(3) No suit or other proceedings shall be maintained or continued in any Court against the State Government or any person or authority whatsoever for the refund of any entertainment duty so paid or recovered.

(4) No Court shall enforce any decree or order directing the refund of any entertainment duty so paid or recovered.

4. The provisions of this Act shall apply and shall be deemed always to have applied during the period from 5-5-2008 to 31-03-2011.

Act to have retrospective effect.